

राजस्थान सरकार
वन विभाग

ओर से ashokyadav
क्षेत्रीय वन अधिकारी
DCF UDAIPUR (NORTH)

निमित्त न्यायालय सहायक वन संरक्षक,

क्रमांक / ENDIV034RNG1994

विषय : — राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत वन विभाग भूमि पर अनाधिकृत कब्जे को बेदखल करने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि श्री ram निवासी jaipur ने वन भूमि ग्राम के खसरा नम्बर KH41000192 आरक्षित/रक्षित वनखण्ड DCF UDAIPUR (NORTH) की 22.00 बीघा पर अनाधिकृत कब्जा कर रखा है। यह वनखण्ड राज्य सरकार की विज्ञप्ति संख्या दिनांक 13/10/2017 के द्वारा Protected Forest घोषित हो चुकी है। क्षेत्र का मानचित्र एवं वन भूमि पर अनाधिकृत कब्जे का विवरण संलग्न है।

अतः श्री ram को राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम की धारा 91 के अन्तर्गत अनाधिकृत कब्जे से बेदखल करने की कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्न : —

- 1 . Adoc Document File
- 2 . MAP Document File
- 3 . Jamabandi Document File
- 4 . Notification Document File
- 5 . Panchnama Document File
- 6 . Nazri Naksha Document File

भवदीय
ashokyadav
क्षेत्रीय वन अधिकारी
DCF UDAIPUR (NORTH)